तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जहाजपुर जिला भीलवाड़ा बनाम किस्म मुकदमा नं. ..... सन्..... हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	कायम हुक्म बनाए जाने हेतु निर्देश दिए। प्रार्थना-पत्र लौटाया दिया गया। अपीली सं. 1 रामनिवास के और से अधिवक्ता मोहन प्रसाद का अधिकार पत्र पेश हुआ। साथ ही अपील को खारिज किए जाने बाबत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी के प्रति दिलाई जाकर पत्रावली वास्ते जवाब। वरना प्रार्थना-पत्र को तरमीम किए जाने बाबत दिनांक 15.7.24 को पेश हो। सहायक कलक्टर जहाजपुर (शाहपुरा)	
15.7.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी की ओर प्रार्थना-पत्र को तरमीम किए जाने का जवाब पेश हुआ। जवाब की प्रति वकील अपीलार्थी को दिलाई गई। पक्षकारों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रकरण को दो तरमीम किए जाने का विषय विचारणीय प्रकरण निर्णय की स्टेज में नहीं है। अपीलार्थी को न्यायालय में सुनवाई का अवसर दिया जाना न्याय हित में उचित है जिससे अपीलार्थी का प्रार्थना-पत्र लौटाया दिया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब। बहस दिनांक 22.7.24 को पेश हो। अपीलार्थी को हिदायत दी जाती है कि प्रकरण में आवश्यक रूप से जवाब पेश करें। सहायक कलक्टर जहाजपुर (शाहपुरा)	
22.7.24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित है/ नहीं है। आज सीमांकन अधिकारी महोदय अन्य राज कार्य में व्यस्त होने के कारण में है। अतः पत्रावली दिनांक 29.7.24 को पेश हो। आज्ञा से पेशकार न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जहाजपुर	
29.7.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अपीलार्थी। वादी/प्रतिवादी की ओर जवाब पूर्व में प्राप्त हो चुका है जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दिलाई जाकर बहस की गई। पक्षकारों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर कार्यवाही करें। सहायक कलक्टर जहाजपुर (शाहपुरा)	

Scanned with CamScanner